I/179308/2024

संख्या– 12 /XLI-A/2023–38/23/E-63609

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद,
रूड़की।

तकनीकी शिक्षा विभाग, देहरादून, दिनांक ~~दिसम्बर, 2023~~ 03-जनवरी-2024

विषयः– उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक भवन, मूल्यांकन भवन के अनुरक्षण आदि कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3223/उ.प्रा.शि.प./अनुरक्षण/2023 दिनांक 11.10.2023 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः I/111469, दिनांक 31.03.2023 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक भवन, मूल्यांकन भवन एवं अतिथि भवन के अनुरक्षण कार्यों** हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जिला स्तरीय टी.ए.सी. के परीक्षणोपरांत उपलब्ध कराये गये आगणनों एवं विभागीय व्यय समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदनोपरांत संस्तुत लागत क्रमशः 148.39 लाख, 160.44 एवं रू. 49.91 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए, उक्त कार्यों को उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की की स्वयं की बचतों से नियमानुसार सम्पन्न कराये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त धनराशि का व्यय करते हुए वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 31.03.2023 में दिए गये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. कार्यों हेतु स्वीकृत आंगणन में सम्मिलित की जा रही जी.एस.टी. देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तविक एवं नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
3. कार्यदायी संस्था के साथ एम.ओ.यू. के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008, 571/XXVII(1)/2010 दिनांक 19.10.2010 तथा 426/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.02.2013 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसका उत्तरदायित्व सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की का होगा।
4. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
5. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
6. विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाए।
7. सम्बन्धित कार्यों हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/67149/2022 दिनांक 29.09.2022

I/179308/2024

में दी गयी व्यवस्थानुसार चरणबद्ध रूप से धनराशि अवमुक्त करते हुए उपयुक्त भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के उपरांत ही अग्रेत्तर धनराशि अवमुक्त की जाएगी।

8. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
9. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से पूर्व बजट या वित्तीय हस्तपुस्तिका अथवा मूल आदेशों के अधीन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक हो। ऐसे में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व्यय के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
10. कार्य करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. विद्युत Items/उपकरणों की आपूर्ति, Installation एवं संचालन हेतु Indian Electricity rule का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्रय किए जाने वाले समस्त उपकरण/मशीनरी विद्युत Energy Efficient सुनिश्चित किया जाए।
12. विभागीय व्यय समिति की दिनांक 10.11.2023 को सम्पन्न बैठक के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 05.12.2023 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
13. सामग्री का I.S. Code के समानकों के अनुरूप NABL Accredited Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाए।
14. सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय नियमानुसार उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2017 (यथासंशोधित) एवं भारत सरकार के सामान्य वित्त नियम–2017 यथा संशोधित के अनुसार सभी खरीद GeM पोर्टल के माध्यम से निविदा प्रकाशित कर की जाएगी।
15. फर्नीचर व उपकरणों आदि का क्रय पदधारकों हेतु नियमानुसार निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा। फर्नीचर/उपकरण/कम्प्यूटर आदि के आवंटन के समय पदधारकों को नियमानुसार अनुमन्यता एवं न्यूनतम आवश्यकता का परीक्षण कर लिया जाएगा।
16. उक्त कार्यों हेतु क्रय किये जाने वाले कम्प्यूटर एवं अन्य आई.टी. उपकरणों की स्पेशिफिकेशन को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार विधिक्षित/वैट करा लिया जाएगा।
17. क्रय किये जाने वाले फर्नीचर/उपकरण आदि का नवीनतम तकनीक, आधुनिक डिजाइन, उच्च गुणवत्ता एवं स्थापित ब्रांड से प्रमाणित होना सुनिश्चित किया जाएगा।
18. जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/महाप्रबन्धक से अनुमोदन कराना आवश्यक होगा।
19. प्रावक्लन/डी.पी.आर. का पुनरीक्षण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा।
20. एन.एस.आई. मदों/बाजार की दरों पर आधारित मदों हेतु शासनादेश सं. 50/XVII(7)/2012 दिनांक 12.04.2012, 152/887/मार्गसि0/रा0यो0आ0/2021 दिनांक 04.02.2021 एवं शासनादेश संख्या–103/XVII(7)32/2007TC-1दिनांक 21.07.2022 तथा 1389/687/मार्ग0सि0/रा0यो0आ0/2022 दिनांक 03.10.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली–2017 (यथासंशोधित) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
21. उक्त स्वीकृत कार्यों को निर्धारित मानकानुसार एवं गुणवत्तापूर्वक संपादित कराते हुए Project Completion report एवं Satisfactory work completion certificate आदि यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

भवदीय,

Signed by Raman Ravinath
Date: 02-01-2024 18:48:56

(रविनाथ रामन)
सचिव।

I/179308/2024

संख्या– 12 /XLI-A/2023–38/23/E-63609 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड कौलागढ़ देहरादून।
2. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
3. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Dinesh Kumar Punetha
Date: 03-01-2024 10:38:18

(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।